न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 04/2019 दायरा दिनांक : 03.01.2019

उनवान

दशरथ सिंह पिता लाल सिंह, जाति राजपूत, आयु 63 साल, निवासी लूनाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– योगेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह, जाति राजपूत, आयु 33 साल, निवासी लूनाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– गेन्दकुंवर पत्नी नारायण सिंह, जाति राजपूत, आयु 50 साल, निवासी लूनाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– तेजकुंवर पत्नी लाल सिंह, जाति राजपूत, आयु 82 साल, निवासी लूनाखेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 188/2017 निर्णय दिनांक 09.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था । जिसमें स्वयं की कृषि आराजी खाता संख्या 143

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

के खसरा नम्बर 305/1 में आराजी को पानी पिलाने के लिए पास ही बने खाल जिसकी दूरी 300 फीट है आराजी के अन्दर पाइप लाईन डालकर पानी लेने के लिए खसरा नम्बर 538/1, 538/3 में होकर अन्दर पाइप लाईन डालने के लिए पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र पर राजस्व अधिकारी द्वारा सही तरीके से गौर नहीं करने के कारण पत्रावली सार संग्रह के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना Recording of Evidence लिये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निर्णय खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं थी और एक तरफा निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब करने के बजाय रास्ते बाबत रिपोर्ट तलब की थी जबकि हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते संबंधी विवाद नहीं होने बाबत टिप्पणी अंकित कर रखी है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर त्रुटि की है । अपीलांट उक्त आराजी पर लगभग 50 वर्षों से पाइप लाईन के जर्ये खाल से पानी लेकर आराजी को पानी पिलाता है । पानी पिलाने के लिये अन्य कोई स्त्रोत नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.07.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध दशरथ सिंह ने दावा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते का मामला समझकर वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलांट खसरा नम्बर 305/1 अप्रार्थीगण के खेतों में से पाइप लाईन डालना चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की है जिसमें रास्ते का विवाद बताया गया है इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया । धारा 251 ए

(अशोक सोनी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सिंचाई के साधन बाबत दावा किया था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया किइनका सरकारी नाले से पाइप लाईन डालने बाबत अवैध कार्य की मांग की है जो अनुचित है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 538/1, 538/3 में से 300 फिट लम्बी भूमिगत पाइप लाईन नाले ऐनीकट से डालते हुए अपने कुएँ तक ले जाना चाहते हैं, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें खसरा नम्बर 305/1 रकबा 1 बीघा आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ता है तथा उक्त आराजी पर रास्ता दिये जाने की आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ खारिज किया कि ऐसा कोई नियम या किसी भी विभाग की कोई स्वीकृति नहीं है कि नाले या ऐनीकट से पाइप लाईन डालकर अपने खेत में पानी ले जा सके । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा